

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

कमला पत्नी गायडराम वगौरा


बनाम

गायडराम पुत्र रामूराम वगौराह

किस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955

मुकदमा नम्बर 25/2020

सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
05.06.2020	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंगन राजस्व रेकॉर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थनी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि निम्न वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी संख्या 2 से 3 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 4 से 7 के दादा है जिनका निम्न भूमि में हिस्सा बनता है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के मौका स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है जिससे रोका नहीं गया तो प्रार्थीगणों को अपूर्ण्य क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में सुविधा का सन्तुलन, अपूर्ण्य क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 09.07.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मोजा बेलवा राणाजी पटवार हल्का बेलवा राणाजी तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1021 रकबा 04.14 बीघा में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करे तथा न ही भूमि का विशिष्ट भू-भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें।</p> <p>पत्रावली दिनांक 09.07.2020 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>बालेसर</b> </p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोर्ट (कोरोना वायरस) के कारण संपूर्ण सख्तार में रजिस्ट्रेशन में लॉकडाउन लागू किया गया। अतः पत्रावली पूर्ण अदेशानुसार इत्यादि होकर दिनांक 13/8/20 को पेश हो</p>	

9/7/20



